बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

<u>विषय सूची</u>

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

2. बिहार अधिनियम 7, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-5 में संशोधन।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026

बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावनाः—

चूँकि "बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002" की धारा-5 के अनुसार आयोग, नियमावली में यथा प्रावधानित रु0 4800/— (चार हजार आठ सौ रूपये) ग्रेड पे (समय—समय पर यथा पुनरीक्षित) से कम ग्रेड पे वाले, राज्य सरकार एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

परन्तु यह कि संविदा—नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियाँ, आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेगी।"

और चूँकि, बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई में एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें गणतंत्र में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**—(i) यह अधिनियम "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026" कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 7, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-5 में संशोधन।– उक्त अधिनियम की धारा-5 में "तकनीकी" शब्द को विलोपित करते हुए एक नया परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगा :–

"परन्तु यह भी कि आयोग, बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। उक्त नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी।"

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा–05 में यथा प्रावधानित "आयोग, नियमावली में यथा प्रावधानित रु0 4800/– (चार हजार आठ सौ रूपये) ग्रेड पे (समय–समय पर यथा पुनरीक्षित) से कम ग्रेड पे वाले, राज्य सरकार एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।

परन्तु यह कि संविदा–नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियाँ, आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेगी।" के बाद तकनीकी शब्द को विलोपित करते हुए तथा एक नया परन्तुक जोड़ते हुए बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है।

इसलिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–5 को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)
भार-साधक सदस्य।

Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Bill, 2026

A

BILL

to amend the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar Act 7 of 2002) (as amended from time to time).

Preamble :-

As per Section 5 of the "Bihar Staff Selection Commission Act, 2002", the Commission may recommend appointments to all General/Technical/Non-technical Services/Cadres/Posts under the State Government and its Regional offices, with a grade pay of less than Rs. 4800/- (four thousand eight hundred rupees) as provided in the rules (as revised from time to time).

However, appointments in cases of contractual employment, reinstatement of retrenched employees, appointments on compassionate grounds, and appointments of meritorious sports persons may be made without obtaining the recommendation of the Commission."

And since it is desirable to ensure uniformity and transparency in the appointment process for regular non-technical posts sanctioned by Cabinet under all Boards/ Corporations/ Societies/ Companies (undertakings of the Government of Bihar) in the state of Bihar, it is appropriate that the appointment process for these posts be conducted by the Bihar Staff Selection Commission.

NOW THEREFORE, in the seventy-seventh year of the Republic of India, it is hereby enacted by the State Legislature of Bihar as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—

(i) This Act may be called the "Bihar Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2026".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Section 5 of Bihar Act 7, 2002 (as amended from time to time).—

In Section 5 of the said Act after deleting the word "Technical" a new proviso shall be added as follows:

"Provided further that the Commission, shall select and recommend candidates for appointment to regular non-technical posts sanctioned by Cabinet under all Boards/ Corporations/ Societies/ Companies (undertakings of the Government of Bihar) in the State of Bihar. The procedures for the said appointment shall be determined by the General Administration Department."